SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

ट्रांसजेंडर्सः प्राचीन, मध्य एवं नये भारत में

आराधना कुमारी, इतिहास विभाग
महिला सेवा सदन डिग्री कालेज, प्रयागराज, उत्तरप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
आराधना कुमारी
E-mail : draradhna14@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 15/07/2025
Revised on : 16/09/2025
Accepted on : 25/09/2025
Overall Similarity : 03% on 17/09/2025

शोध सार

किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी प्रतिष्ठा धन और शक्ति से पहचानी जाती है किन्तु कुछ समय पहले तक एल.जी.टी. लोगों को सामाजिक कलंक, भेदभाव और अक्सर अपने परिवार द्वारा अस्वीकृति का सामना करना पड़ता था जिससे इस समुदाय के लोगों को आधारभूत सुविधाओं के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता। समय के साथ इनकी स्थिति में भी बदलाव आया है। शिक्षा, रोजगार अधिकार विधेयक मिलने से इनकी सामाजिक स्थिति में काफी बदलाव आया है। अधिकारों के मिलने से समाज समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके साथ पूरी तरह से हिंसा, शोषण या भेदभाव समाप्त हो गया किन्तु पहले से स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है।

मुख्य शब्द

सामाजिक कलंक, शोषण, समुदाय, किन्नर, परिवर्तन.

'ताली बजाऊँगी नहीं बजवाऊँगी'

''मुझे एक खूबसूरत इंसान की जिन्दगी को पर्दे पर जीवंत करने और उसकी दास्तां दुनिया के सामने लाने का मौका मिला है। इससे सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। ये जीवन है और सबको इसे सम्मान के साथ जीने का हक है।''

पूर्व मिस यूनिवर्स एवं अभिनेत्री सुष्मिता सेन

समय के साथ प्रत्येक वस्तु बदली है उसी तरह समाज में ट्रांसजेंडर की स्थिति में भी बदलाव आया है। कुछ दशकों पूर्व तक इन विषयों पर बात करना कोई पसंद नहीं करता था वहीं आज सार्वजनिक रूप से इनके जीवन और समस्याओं पर चर्चा की जा रही है।

ट्रांसजेंडर शब्द का अर्थ

यह शब्द उन लोगां के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी एक लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ति उस लिंग में अलग होती है जो उन्हें जनन के समय दी गई होती है। ट्रांसजेंडर का शाब्दिक अर्थ हुआ 'दूसरी अवस्था में' लिंग या 'उल्टा लिंग' मूल रूप से यह व्यक्ति की प्रजनन क्षमता के अभाव को दर्शाता है।

ट्रांसजेंडर के अन्य नामः हिंजड़ा, किन्नर, कोठी, अरावनी, जोगप्पा, शिव–शक्ति, नपुंसक।

इतिहास

किन्नर शब्द 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अस्तित्व में आये हैं इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुयी है। वैदिक संस्कृति में तीन लिंगों को मान्यता दी गयी थी। वेदों में व्यक्तियों को उनकी प्रकृति के अनुसार अलग–अलग श्रेणियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है।

प्राचीन भारत में ट्रांसजेंडर

प्राचीन भारत इन्हें समझने में बहुत आगे था साथ ही इनकी वैज्ञानिक व्याख्या भी करता है। इन्हें तीसरी श्रेणी के रूप में स्वीकार किया गया जिसमें लिंग और यौनिकता से सम्बन्धित सभी प्रकार का समावेश होता। इस प्रकार से रामायण, महाभारत में इनका वर्णन शिखंडी, बृहन्नला आदि का उल्लेख मिलता है जो राजमहलों के भीतर काम करते थे। पौराणिक कथाओं में इन्हें विवाह, बच्चे के जन्म या किसी प्रकार के उत्सव, उद्घाटन अवसरों पर आशीर्वाद देने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

मध्यकालीन भारत

मध्यकालीन भारत में ट्रांसजेंडर को उच्च पद प्राप्त थे ये प्रशासक, सेनापति, राजनीतिक, सलाहकार, आदि पदों पर सुशोभित हुये। ये साम्राज्य के प्रति विश्वसनीय, चतुर और वफादार होते थे। हरम के रक्षक इन्होंने इस्लामिक धार्मिक संस्थानों में भी उच्च पदों पर सुशोभित किया, रानी–राजा के विश्वास पात्र होने के कारण धन लाभ अधिक था।

ब्रिटिश भारत में ट्रांसजेंडर

शासन के आरम्भ में इन्हें कुछ राज्यों द्वारा संरक्षण प्राप्त था। उन्हें भूमि, कृषक परिवारों से छोटी राशि एवं भोजन के अधिकार प्राप्त थे किन्तु धीरे–धीरे उनसे सारे अधिकार प्राप्त थे किन्तु धीरे–धीरे उनसे सारे अधिकार छीन लिये गये। यह समय समस्त देशवासियों सहित हिजड़ों के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कलंकित कर अपराधी घोषित किया और प्रशासन ने आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 लागू किया जो विशेष रूप से ट्रांसजेंड्र्स के लिए था। इसके अनुसार ट्रांसजेर्ड्स को जन्मजात अपराधी माना और गैरजमानती वारण्ट जारी हुआ।

स्वतंत्र भारत में ट्रांसजेंडर की स्थिति

स्वतंत्र भारत में ट्रांसजेंर्डस की स्थिति बेहतर है। सरकार ने 2019 में नवम्बर में ट्रांसजेंडर लैंग्वेज को मंजूरी की।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति 2019 अधिकारों का संरक्षण

- ट्रांसजेंडर व्यक्तित्व को परिभाषित करना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव का विरोध।
- पहचान पत्र जारी करना।
- भेदभाव का सामना न करना पड़े।
- प्रत्येक संस्था में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
- शिक्षा का अधिकार।

- कानून का संरक्षण।
- मताधिकार।

ट्रांसजेंडर की समस्या

- परिवार व समाज द्वारा त्याग दिये जाते हैं।
- सामाजिक व सांस्कृतिक बहिष्कार।
- हिंसा, उत्पीड़न व अनादर का व्यवहार।
- रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं में भेदभाव।
- अपमानजनक नामों से पुकारा जाना।
- सुरक्षा की समस्या।
- बेरोजगारी।
- आवास की समस्या।

निष्कर्ष

21वीं सदी में बहुत बदलाव हो रहे हैं। इन सबमें प्रमुख बदलाव ट्रांसजेंडर्स की स्थिति में बदलाव है। आज सरकार द्वारा निरंतर प्रयासों से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, रोज़गार के अधिकार मिलने से अब इनको घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता, समाज इनको समझ रहा है।

संदर्भ सूची

1. https://www.globalcitizan.org, Accessed on 12/07/2025.
2. https://www.dirsthias.com, Accessed on 08/07/2025.
3. https://www.triumphias.com, Accessed on 06/07/2025.
4. https://www.lawctopus.com, Accessed on 09/07/2025.
5. https://www.researchgate.net, Accessed on 10/07/2025.
6. https://www.cdpp.co.in, Accessed on 13/07/2025.
7. https://www.devdutt.com, Accessed on 11/07/2025.

****